माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्र. क्र. II/सतना/नि/भू–रा/2017/4709

परमानंद व्यापार प्रा0 लि0 सतना द्वारा डाईरेक्टर देवेन्द्र कुमार जैन उर्फ डी. के. जैन पुत्र श्री हीरालाल जैन आयु–76 वर्ष, निवासी 14 संग्राम कॉलोनी सतना थाना कोलगंवा वृत्त सतना प्रथम तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

........**निगरानीकर्ता/आवेदक**

विरुद्ध

1 शंम्भू सरावगी पुत्र सीताराम सरावगी निवासी सुभाष चौक सतना थाना सिटी कोतवाली तहसील रघुराजनगर सतना

2 विजय कुमार गुलाटी पुत्र स्व0 री महेन्द्र लाल गुलाटी निवासी एफ.एफ.–2 साकेत अपार्टमेंट नेपियर टाउन जबलपुर म0प्र0 ....**रेस्पोंडेट**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 03/11/2017, प्र0 क्र0 5/अन्तरण/2017–18 न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता/आवेदक की ओर से निगरानी निम्न अनुसार प्रस्तुत है–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/4709

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 5/17–18 अंतरण में पारित आदेश दिनांक 3–11–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता एंव प्रचलनशीलता पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि आवेदक ने तहसीलदार रघुराजनगर के न्यायालय में प्रचलित नामान्तरण प्रकरण को किसी अन्य समान न्यायालय में हस्तांतरित करने हेतु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के यहां मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 29 के अंतर्गत आवेदन दिया था, किन्तु अपर आयुक्त ने तहसीलदार व्दारा की जा रही मानमानी कार्यवाही पर ध्यान दिये बिना धारा 29 आवेदन निरस्त करने में भूल की है जिसके विरूद्व राजस्व मण्डल में निगरानी प्रचलनयोग्य होने से ग्राह्य की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाते हुये न्याय प्रदान किया जाय। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 3–11–17 के अवलोकन पर पाया गया कि अपर आयुक्त ने आवेदक का धारा 29 का दावा निरस्त किया है एंव धारा 29 के मामले में आयुक्त न्यायालय विचारण न्यायालय है जिसके विरूद्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत अपील होगी। आवेदक के अभिभाषक ने निगरानी को अपील में बदलने की मांग की भी नहीं की है जिसके कारण निगरानी अग्राह्य होने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	